उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–04/2014–15

सरकार

बनाम्

श्री टुनटुन साह एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक

विपक्षी लगातार अनुपस्थित आ रहें हैं। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मेहरमा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। प्रतिवेदन है कि 37 पैकेट में कुल 21 क्विंटल चावल एस0सी0आई0 के बोरे में बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से टुनटुन साह, पे0–मांगन साह, सा0–बलबड्डा के द्वारा खरीद कर लाया जा रहा था। उसी क्रम में जप्त किया गया है एवं चावल को सड़ने से बचाने के लिए श्री शंकर चौधरी, पे0–तारणी चौधरी, सा0–आमजोड़ा, फिरोजपुर को सुरक्षित रखने हेतु जिमानामा कर दिया गया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है। उनके पत्रांक–579/जि0आ0 दिनांक–24.08.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि 21 क्विंटल चावल, जिसे प्रखंड मेहरमा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री शंकर चौधरी के पास सुरक्षित रखवाया गया था, उनसे संपर्क करने पर उनके द्वारा बयान दिया गया है कि उक्त चावल को उन्होंने बाद में तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मेहरमा श्री मनोज कुमार पासवान के आदेश पर अपने दुकान के कार्डधारियों के बीच वितरित कर दिया एवं वर्तमान में उनके पास उक्त जब्त चावल नहीं है। डीलर श्री शंकर चौधरी के द्वारा उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही उनके द्वारा इस आशय से संबंधित अन्य कोई प्रमाण दिया गया है। क्योंकि उक्त घटना लगभग 12 वर्ष पहले की है एवं तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मेहरमा, श्री मनोज कुमार पासवान, सेवानिवृत हो चुके है एवं उनका कोई संपर्क नंबर प्राप्त नहीं हो पाया, इस वजह से डीलर श्री चौधरी के बयान का सत्यापन नहीं हो पाया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जप्त चावल को वितरित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रक्रिया को चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतएव वर्तमान वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.11 11:48:06 +05:30
Location: 192.168.1.2